

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक 15/05/2015

क्रमांक एफ-(ए)/4/2014/ई/चार :- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.04.2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ चौबे, संयुक्त संचालक, मनरेगा परिषद् भोपाल का संभागीय पेंशन अधिकारी, जबलपुर किया गया स्थानांतरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 15/05/2015

पृ. क्रमांक एफ-(ए)/4/2014/ई/चार
प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 - 2 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सचिव,
 - 3 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
 - 4 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
 - 5 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 - 6 आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल,
 - 7 संचालक, पेंशन भविष्य निधि तथा संचालनालय, भोपाल,
 - 8 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर,
 - 9 संभागीय पेंशन अधिकारी, जबलपुर,
 - 10 जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
 - 11 श्री सुरेन्द्र नाथ चौबे, संयुक्त संचालक, मनरेगा परिषद् भोपाल,
 - 12 गार्ड फाइल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग